प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 24 आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 80गगच अंतःस्थापित करने के लिए है जो दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों के अभिदाय की बाबत कटौती से संबंधित है ।

प्रस्तावित नई धारा यह उपबंध करती है कि किसी निर्धारिती की, जो व्यष्टिक या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, कुल आय की संगणना करने में, 1 अप्रैल, 2011 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान ऐसे दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस धारा के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किए जाएं, अभिदाय के रूप में संदत्त या निक्षिप्त संपूर्ण रकम की, उस सीमा तक, जहां ऐसी रकम बीस हजार रुपए से अधिक नहीं है, कटौती की जाएगी ।

तदनुसार, केंद्रीय सरकार पूर्वोक्त उपबंध के प्रयोजनों के लिए दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों को विनिर्दिष्ट करने वाली अधिसूचनाएं जारी करने के लिए सशक्त है ।

विधेयक का खंड 67 केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 का, उसमें एक नया खंड (xiiiक) अंतःस्थापित करने की दृष्टि से, संशोधन करने के लिए है । उक्त खंड शुल्क के अपवंचन या केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के दुरुपयोग को रोकने के लिए विनिर्माता या निर्यातकर्ता से सुविधाएं वापस लेने या उस पर निर्बन्धन अधिरोपित करने या व्यौहारी के रजिस्ट्रीकरण के निलंबन के लिए नियम बनाने का उपबंध करने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त करता है ।

विधेयक के खंड 75 का उपखंड (ई) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 95 का, उसमें एक नई उपधारा (1छ) अंतःस्थापित करने की दृष्टि से, संशोधन करने के लिए है, जिससे कि केंद्रीय सरकार को ऐसी किसी कठिनाई को दूर करने के लिए, जो प्रस्तावित विधान द्वारा सम्मिलित किसी कराधेय सेवा के मूल्य को लागू, वर्गीकृत या निर्धारित करने में उद्भूत हो, सशक्त किया जा सके । उक्त उपधारा का परंतुक यह उपबंध करने के लिए है कि ऐसा कोई आदेश उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

विधेयक के खंड 82 का उपखंड (7) केंद्रीय सरकार को यह घोषणा करने हेतु अधिसूचनाएं जारी करने के लिए सशक्त करता है कि उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण और उससे छूट, प्रतिदाय, अपराध और शास्तियां, अपराधों से संबंधित अधिग्रहण और प्रक्रिया से संबंधित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के उपबंधों में से कोई उपबंध उक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन उद्गृहीत उपकर को लागू होगा ।

विधेयक का खंड 83 केंद्रीय सरकार को उपकर के निर्धारण, संग्रहण और उपयोजन की रीति और उससे संबंधित किसी अन्य विषय के लिए उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

वे विषय, जिनकी बाबत विधेयक के उपबंधों के अनुसार अधिसूचनाएं जारी की जा सकेंगी या नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । उन नियमों को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए जाएं और विधेयक, जो अधिनियमित किया जाए, के खंड 75 के उपखंड (ई) के अधीन किए गए आदेशों को संसद् के समक्ष रखा जाएगा ।

अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।